(378)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक—प.3(628)नविवि/3/2011 पार्ट   जयपुर, दिनांक 26 FEB 2013

आदेश

राजस्थान नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरिटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन नीति के अन्तर्गत संस्थाओं को भूमि आवंटन के संबंध में नगरीय विकास विभाग के लिये मंत्रिमण्डलीय सचिवालय की आज्ञा क्रमांक प.5(1)मंमं/2009 दिनांक 26.04.2011 द्वारा गठित एवं आदेश दिनांक 23.12.2011 से पुनर्गठित मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति की सातवीं बैठक दिनांक 12.02.2013 में लिये गये निर्णयानुसार विभागीय आदेश क्रमांक प.3(628)नविवि/3/2011 दिनांक 09.09.2011 के क्रम में निम्न आदेश प्रसारित किये जाते हैं:—

"संस्था की आर्थिक स्थिति देखते हुए न्यास/प्राधिकरण/स्थानीय निकाय अपने स्तर पर देय राशि जमा कराने के लिये संस्था को ब्याज रहित किश्तें अधिकतम 2 वर्ष तक की अवधि के लिये तय करने के लिये सक्षम रहेगी। इससे अधिक अवधि की किश्तों के लिये राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।"

DLR

28/2/13

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री, यातायात एवं गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्यसचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. उप शासन सचिव—प्रथम, नगरीय विकास विभाग।
12. संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय, नगरीय विकास विभाग।
13. संयुक्त शासन सचिव—तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
14. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
15. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
16. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)

22/2/2013
संयुक्त शासन सचिव—तृतीय